RACL Geartech Ltd.

Corporate Office
B-9, Sector-3, Noida, Uttar Pradesh-201301, INDIA
Phone: +91-120-4588500 Fax: +91-120-4588513
Web: www.raclgeartech.com E-mail: info@raclgeartech.com

Date: 27th April, 2024

The Manager - Listing
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Scrip Code: 520073

Subject: Newspaper advertisement pertaining to Loss of Share Certificates

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached, copies of the newspaper advertisement pertaining to loss of Share Certificates that are published in Newspaper Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), Delhi NCR edition.

You are requested to take note of the above and oblige.

Thanking You,

Yours sincerely,
For RACL Geartech Limited

JITENDER JAIN

Digitally signed by JITENDER JAIN
DN: cn=JITENDER JAIN, c=IN, st=Delhi, o=Personal, serialNumber=461910F6991B1D01F2BC43D983CB9ACF54726B37213D58E31F86DEF63171FEB9
Date: 2024.04.27 11:29:42 +05'30'

Jitender Jain
Chief Financial Officer

AAP leaders during the launch of the party's Lok Sabha campaign song in New Delhi on Thursday. A chair was kept empty for jailed party chief Arvind Kejriwal

● 'JAIL KA JAWAB VOTE SE'

AAP releases LS campaign song

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, April 25

THE AAM AADMI Party (AAP) launched its Lok Sabha campaign song — a rap number titled "Jail ka Jawab Vote se" – in New Delhi Thursday.

AAP Delhi convener Gopal Rai, who was present at the song launch along with senior party leaders Sanjay Singh, Durgesh Pathak, Jasmine Shah and others, also announced that the party is going kickstart the next phase of its campaign from April 27, Saturday, with roadshows and rallies.

During the song launch, the party also left a chair empty on the stage in honour of its national convener Arvind Kejriwal, who is behind bars for over a month now following his arrest in the Delhi excise policy case. "Next phase of the campaign will start from April 27. Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal will go among the public with the CM's message," said Rai.

As per sources, Sunita Kejriwal, who is already leading campaigning in other states, will lead the roadshows and rallies in Delhi. She will start campaigning for East Delhi candidate Kuldeep Kumar from Kondli area on Saturday.

She is also likely to hold a roadshow for their West Delhi candidate Mahabal Mishra from Tilak Nagar to Dwarka on Sunday, said sources.

"Starting from April 8, we have launched a door-to-door campaign and sankalp sabha yatras and received huge support from the people for Kejriwal..To speed up the election campaign further, today we launched the song...We have observed the importance and role of theme songs in the previous polls and believe that this song will also hold importance among the public...," said Rai.

The over two-minute song has been written and sung by senior AAP leader and MLA Dilip Pandey, and had received 20 lakh views on different social media platforms within few hours of its release.

Russian firms get marine insurance nod

April 25

INDIA HAS GRANTED marine insurance approval to four Russian firms, adding impetus to Moscow's efforts to avoid the use of Western service providers.

Russia's VSK Insurance, Sogaz Insurance Co. and Alfastrakhovanie PCL have got approval to provide marine insurance until Feb. 20, 2025, the Directorate General of Shipping website showed. The validity of Moscow-based Ingrosstrakh Insurance Company was extended through March 2029. Insurance coverage from all four providers is backed by state-run Russian National Reinsurance Co.

— BLOOMBERG

● 6 KILLED IN PATNA HOTEL FIRE

Firefighters douse a fire which broke out in a restaurant and hotel near the Patna Junction railway station on Thursday. Six people died and at least 15 were injured in the blaze. AP

High Commission attack: UK resident arrested

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, Apr 25

IN A MAJOR BREAKTHROUGH, the National Investigation Agency (NIA) on Thursday arrested a key accused in a case related to the attack on the Indian High Commission in London in March last year.

Inderpal Singh Gaba, a resident of Hounslow in the UK, has been arrested for carrying out unlawful activities during protests that took place on March 22, 2023, in London, a statement issued by the agency said.

NIA investigations in the case so far have revealed that the

incidents in London on March 19 and 22 last year were part of a larger conspiracy to unleash vicious attacks on the Indian missions and its officials.

The attacks in London in March 2023 were found to be in retaliation to the action taken by the Punjab Police against pro-Khalistani separatist Amritpal Singh on March 18, 2023, it added. Further investigations in the case are continuing, the statement said.

On March 19, 2023, the Indian High Commission in London was attacked by a group of about 50 people, who have been accused of committing criminal trespass, disrespecting the Indian national flag, destruction of public property, and injuring High Commission officials.

RACL Geartech Limited
Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 (India)
Tel No.: 011-66155129 | Fax No.: 0120-4588513
Email: investor@raclgeartech.com Website : www.raclgeartech.com
CIN : L34300DL1983PLC016136

RAUNAQ GEARS

NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES

The following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced and the holder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issue of duplicate share certificate(s).
Notice is hereby given that the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person(s) unless a valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice. No claims will be entertained by the Company with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	Distinctive Numbers From	Distinctive Numbers To	No. of Shares
0019800	Indu Mimani	00005883	003187308	003187407	100
		00011161	003715108	003715207	100
		00014635	004062508	004062607	100
		00016876	004286608	004286707	100
		00019475	004546508	004546607	100

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/their claim with all supporting documents with the Company at its registered office. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the appearance of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the person listed above and no further claim would be entertained from any other person(s).

For RACL Geartech Limited
Sd/-
Gursharan Singh
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date: 25th April, 2024

MOTILAL OSWAL HOME LOANS

Motilal Oswal Home Finance Limited
CIN: U65923MH2013PLC248741
Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel S.T. Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Tel: +91 8291889898, Fax: +91-22 5036 2365
Website: www.motilaloswalhf.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024
(Pursuant to Regulation 52(8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

(₹ in Lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31-Mar-24 (Unaudited)	Quarter Ended 31-Mar-23 (Unaudited)	Year Ended 31-Mar-24 (Audited)	Year Ended 31-Mar-23 (Audited)
1	Total Income From Operation	15,562	13,857	58,908	53,193
2	Net Profit for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items) (refer note III)	4,185	4,270	17,128	17,554
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (refer note III)	4,185	4,270	17,128	17,554
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (refer note III)	3,223	3,205	13,252	13,636
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	3,222	3,221	13,247	13,651
6	Paid Up Equity Share Capital	60,379	60,334	60,379	60,334
7	Reserve (excluding deferred revenue expenditure)	66,786	53,052	66,786	53,052
8	Securities Premium Account (included above)	26,418	26,312	26,418	26,312
9	Net worth	1,25,731	1,11,591	1,25,731	1,11,591
10	Outstanding debt	2,99,424	2,88,875	2,99,424	2,88,875
11	Outstanding Redeemable Preference Share	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	2.33	2.52	2.33	2.52
13	Net Debt Equity Ratio*	1.96	2.24	1.96	2.24
14	Earning Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	0.06	0.05	0.22	0.23
	2. Diluted:	0.06	0.05	0.22	0.23
15	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16	Debenture Redemtion Reserve	NA	NA	NA	NA
17	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA
18	Total debts to total assets (%)	66%	70%	66%	70%
19	Net profit margin (%)	22%	26%	22%	26%
20	(i) Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) (%)	50.98%	51.55%	50.98%	51.55%
21	(ii) Gross non performing assets (%)	0.86%	1.07%	0.86%	1.07%
22	(iii) Net non performing assets (%)	0.42%	0.55%	0.42%	0.55%

* Total debt - (Cash & cash equivalent, bank balances and current Investments) / Total equity.

Note:

1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) (as amended from time to time). The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.motilaloswalhf.com).

2 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed at www.bseindia.com.

3 The above Audited Financial Results of Motilal Oswal Home Finance Limited (the 'Company') for the quarter and year ended 31 March 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 25 April 2024.

4. The previous year / period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm to the current financial period figures.

For and on behalf of the Board of Directors of
Motilal Oswal Home Finance Limited
Sd/-
Sukesh Bhowal
Managing Director & CEO
DIN: 10242971

Place: Mumbai
Date: 25th April 2024

Himadri

Himadri Speciality Chemical Ltd

Registered Office: 23A Netaji Subhas Road, 8th Floor, Suite No. 15, Kolkata - 700 001
Corporate Identity Number : L27106WB1987PLC042756
Phone: (033) 2230-9953, Fax: (033) 2230-9051
Email: info@himadri.com, Website: www.himadri.com

(Rs. in Crores)

Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2024

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31.03.2024 (Audited)	Previous Three months ended 31.12.2023 (Unaudited)	Corresponding Three months ended 31.03.2023 in the previous year (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Previous year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total income	1,189.35	1,062.71	1,039.45	4,227.44	4,199.81
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	164.22	149.26	110.71	573.14	301.81
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	164.22	149.26	110.71	573.14	271.81
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	114.61	107.89	76.72	411.00	207.81
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	114.28	108.80	61.97	457.69	222.58
6.	Paid up Equity Share Capital	49.26	44.07	43.27	49.26	43.27
7.	Other Equity				2,931.95	2,172.33
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 2)					
	Basic (Rs.)	2.40	2.45	1.81	9.17	4.94
	Diluted (Rs.)	2.39	2.45	1.81	9.16	4.94

NOTES :-
1) The above audited standalone results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 25 April 2024.
2) Earnings per share is not annualised for the quarter ended 31 March 2024, 31 December 2023 and 31 March 2023.
3) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

(Rs. in Crores)

Statement of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2024

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31.03.2024 (Audited)	Previous Three months ended 31.12.2023 (Unaudited)	Corresponding Three months ended 31.03.2023 in the previous year (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Previous year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total income	1,189.34	1,062.70	1,039.45	4,227.41	4,199.81
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	165.73	150.15	110.59	573.86	310.25
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	165.73	150.15	110.59	573.86	280.25
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	115.18	108.78	76.21	410.68	215.86
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	114.06	111.68	61.32	457.17	223.51
6.	Paid up Equity Share Capital	49.26	44.07	43.27	49.26	43.27
7.	Other Equity				2,996.32	2,237.23
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 2)					
	Basic (Rs.)	2.41	2.47	1.80	9.16	5.13
	Diluted (Rs.)	2.41	2.47	1.80	9.16	5.13

NOTES :-
1) The above audited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 25 April 2024.
2) Earnings per share is not annualised for the quarter ended 31 March 2024, 31 December 2023 and 31 March 2023.
3) The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Consolidated Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anurag Choudhary
Chairman
DIN: 00173934

Place : Kolkata
Date : 25 April 2024

न्यायालय ने महत्त्वहीन याचिका दायर करने के लिए केंद्र पर पांच लाख जुर्माना लगाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इसे कानूनी प्रक्रिया का 'सरासर दुरुपयोग' करार दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि केंद्र के पास विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसी महत्वहीन याचिकाएं दायर न करें। हम उच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इस तरह, जुर्माना लगाने के साथ विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (केंद्र) के वकील ने कहा था पिछले आदेश में इस मामले का निपटारा कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया था कि इसी तरह की याचिका पहले खारिज कर दी गई थी।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जवाब

सेना भर्ती, पानी के मुद्दे पर उठाए सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सेना भर्ती, स्वच्छता और बिजली चोरी जैसे अहम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की मुरैना की रैली में इनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के तीन सवाल हैं। पहला मुरैना में सेना भर्ती को लेकर भाजपा के बड़े-बड़े वादों का क्या हुआ? दूसरा मध्य प्रदेश के गांवों में अभी भी पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों है? और तीसरा मुरैना भारत की बिजली चोरी की राजधानी क्यों बन गई है?

कांग्रेस का कहना है कि उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018 में मुरैना का दौरा किया, तो उन्होंने वादा किया था कि एक या दो साल के भीतर वहां एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहानियां सुनाईं कि कैसे, जब भी वे देश भर की सीमा पर जाते हैं, तो उन्हें भिंड-मुरैना के सबसे अधिक सैनिक वहां तैनात मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल से मुरैना के शिक्षित युवा सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। उसी कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वे भिंड-मुरैना क्षेत्र में सेना का स्थानीय भर्ती कार्यालय स्थापित करेंगे। छह साल बाद, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके बजाय, अग्निपथ के माध्यम से, मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों की पवित्रता और भिंड-मुरैना के हजारों महत्त्वाकांक्षी युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। निर्मला सीतारमण के जोशीले वादों का क्या हुआ? उनलोगों ने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों किया?

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों, विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों में नाकाम रहा है। 2020 की एक रपट के अनुसार, 4.5 लाख शौचालय गायब मिले, बजट से 540 करोड़ रुपए सरकारी अधिकारियों द्वारा निकाल लिए गए थे। जबकि जल और स्वच्छता विभाग का दावा है कि जिन 99.6 फीसद घरों में शौचालय की सुविधा थी, उनके पास बहते पानी की भी सुविधा थी, लेकिन जमीनी हकीकत बिलकुल अलग तस्वीर पेश करती है। शौचालय बिना सेप्टिक गड्ढों के बनाए गए और कई गांवों में पानी की कमी शौचालय के नियमित उपयोग में एक बड़ी बाधा रही है। पानी की उपलब्धता में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, शिवपुरी में, लगभग 500 गांव ऐसे हैं जो फरवरी तक ही अपने वर्ष की 50 फीसद जल आपूर्ति समाप्त कर देते हैं। क्या स्वच्छ भारत और हर घर जल के बड़े-बड़े वादे भी सिर्फ जुमले थे?

इसी प्रकार मुरैना जिले को देश का एकमात्र ऐसा जिला होने का नकारात्मक गौरव प्राप्त है, जहां विशेष प्रकार के बिजली के तारों और बिजली के हीटरों पर धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर कार्यालय को यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि लोग इन तारों और हीटर के हिस्सों का उपयोग बिजली चोरी करने के लिए कर रहे हैं।

दस साल में महिलाओं के लिए कम हुए 42 फीसद नौकरी के अवसर : खरगे

खरगे ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में महिलाओं की नौकरियां 42 फीसद घटाई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 2025 से केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधी नौकरियां (50 फीसद) महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। खरगे ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार के 30.87 लाख पदों पर, महिलाओं की भागीदारी केवल 10.93 फीसद ही बची है।

पूनम महाजन को चुनौती देंगी वर्षा गायकवाड़

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (ब्यूरो)।

कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से गुरुवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वर्षा के नाम को स्वीकृति प्रदान की। वे इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूनम महाजन को चुनौती देंगी। मुंबई उत्तर मध्य से वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ सांसद थे।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

PUBLIC NOTICE

"My client, Smt. Anita Sharma, wife of Shri C. P. Sharma, permanent resident of G-137, Ground Floor, Vikaspuri, New Delhi had bought the said property from its erstwhile owner by way of registered set of documents in the year 2002. A frivolous case was filed by Shri Narendra Padda @ Ninni against one Shrimati Kiranjit Kaur and others, including my client's husband (CS 303/2003, titled, Narendra Padda Vs Kiranjeet Kaur & Ors.)

The said suit seeking possession, declaration, cancellation, and permanent injunction was filed in the year 2003 by Shri Narinder Padda against my client's husband and others. This suit was dismissed on 26.02.2018 by the Civil Judge, Central, Tis Hazari Courts. An appeal was preferred, before the learned ADJ, District South- West, Dwarka, which too met the same fate and was dismissed vide order dated 10.04.2023. (RCA 38/2018, titled, Narendra Padda Vs Kiranjeet Kaur & Ors.)

Shri Narendra Padda thereafter preferred Second Appeal before the Hon'ble Delhi High Court, which was also dismissed by a well-reasoned judgement passed by the Single Judge dated 09.10.2023, holding that my client, Smt. Anita Sharma, who is the owner of the property was not even impleaded as a party in the said suit. In the absence of the actual owner being impleaded as a party in the suit, such a suit is not maintainable and as had been rightly held by the Hon'ble Delhi High Court. (RSA 178/2023, titled, Narendra Padda Vs Kiranjeet Kaur & Ors.)

Sd/-
Arvind Chaudhary
Advocate
Off :- C-481A, Sushant Lok-I, Gurugram, Haryana-122009

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

ईसीबी तिलक नगर शाखा
13 एवं 14, पुराना बाज़ार तिलक नगर, दिल्ली-110018
फ़ोन: 011-25990655/736,
ई-मेल: ubin0905259@unionbankofindia.bank

(नियम-8(1))
कब्ज़ा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं.54)के तहत अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, **सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, ब्लॉक-सी, जनकपुरी शाखा, दिल्ली-110058** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग **नोटिस दिनांक 29.01.2024** जारी कर उधारकर्ता श्रीमती सविता त्यागी और श्री विपिन त्यागी को नोटिस में उल्लिखित **राशि रु.2,04,232.00 (दो लाख चार हजार दो सौ बत्तीस मात्र)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।

उधारकर्ता के राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **24 अप्रैल,2024** को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर **रु.2,04,232.00 (दो लाख चार हजार दो सौ बत्तीस मात्र) एवं उसपर ब्याज, यूनियन बैंक आवासीय ऋण** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री विपिन त्यागी और श्रीमती सविता त्यागी द्वारा स्वामित्व वाली एमआईजी फ्लैट नंबरः जी-2, भूतल, प्लॉट नंबरः 335, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद, यूपी-201019 का सम्यक बंधक।
पूर्वः फ्लैट नंबर जी-3, **पश्चिमः** रोड/गौर ग्रेविटी मॉल,
उत्तरः प्लॉट नंबर-3 **दक्षिणः** प्लॉट नंबर-336

दिनांकः 24.04.2024 — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

ईसीबी तिलक नगर शाखा
13 एवं 14, पुराना बाज़ार तिलक नगर, दिल्ली-110018
फ़ोन: 011-25990655/736,
ई-मेल: ubin0905259@unionbankofindia.bank

[नियम-8(1)]
कब्ज़ा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के तहत अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, ब्लॉक-सी, जनकपुरी शाखा, दिल्ली-110058 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दिनांक **07.06.2018** जारी कर उधारकर्ता श्रीमती संचिता भट्टाचार्जी और श्री अतानु भट्टाचार्जी को नोटिस में उल्लिखित राशि **रुपये 10,24,349.00 (दस लाख चौबीस हजार तीन सौ उनचास रूपए मात्र)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।

उधारकर्ता के राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **24 अप्रैल, 2024 को कब्जा कर लिया है।**

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर **रु.10,24,349.00** (दस लाख चौबीस हजार तीन सौ उनचास रूपए मात्र) एवं उसपर ब्याज, **यूनियन बैंक आवासीय ऋण** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती संचिता भट्टाचार्जी और श्री अतनु भट्टाचार्जी के स्वामित्व वाली सुपरटेक रेजीडेंसी के एमआईजी फ्लैट नंबरः 610,5वीं मंजिल, प्लॉट नंबरः 6ए का, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, यूपी-201010 का सम्यक बंधक।
पूर्वः सामान्य मार्ग **पश्चिमः** नीचे खुला
उत्तरः नीचे खुला **दक्षिणः** नीचे खुला

दिनांकः 24.04.2024 — कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी,

SMFG Grihashakti

एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
(पूर्व की फुलरटन इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड)
कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 एवं 504, 5वां तल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400051
पंजीकृत कार्यालयः मेघ टावर्स, तृतीय तल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड, मदुरवॉयल, चेन्नई - 600095

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति हेतु [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड) [नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में)], (इसके पश्चात 'एसएमएफएचसी' का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आप कर्जदारों (नाम एवं पता नीचे उल्लिखित) से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित तिथि पर मांग सूचना जारी की थी।

नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदाररों) तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएफएचसी' के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1.	लैनः- 610338010967795 1. शाहरुख	संपूर्ण प्लॉट नंबर 20 और प्लॉट नंबर 21 का हिस्सा, मिनीजुमला खसरा नंबर 317 वाली भूमि, माप क्षेत्र 99.73 वर्ग मीटर, छीतर सिंह नारायण भियार मौजा देहतोरा तहसील, जिला आगरा में स्थित, सीमाएं : पूर्वः- प्लॉट नंबर 22 और 23 का हिस्सा, पश्चिमः- रास्ता और निकास 25 फीट चौड़ा, उत्तरः- प्लॉट नंबर 19, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 21 का हिस्सा	03.10.2023 25.09.2023 को रु. 9,69,823/- (रुपये नौ लाख उनहत्तर हजार आठ सौ तेईस मात्र)	25.04.2024 (सांकेतिक कब्जा)
2.	लैनः- 605439511205800 1. रवि कुमार पुत्र अनंग सिंह 2. गुंजन देवी	दूसरी मंजिल पर निर्मित संपत्ति का समस्त भाग, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 108 वर्ग गज, यानी 90.29 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या 1/1799/ए, खसरा संख्या 124 में से, साइट पर निर्मित इसकी पूरी संरचना के साथ, इसके सभी फिक्स्चर और फिटिंग के साथ बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन के साथ अलग-अलग मीटर के साथ सुसज्जित, साझा प्रवेश सामान्य सुविधाएं जैसे कॉमन सीढ़ियां/सेवाएं जैसे सीवर लाइन और अलग जल लाइन, कॉमन गैलरी, कॉमन मार्ग, स्टिल्ट फ्लोर पर 1/4 पार्किंग स्थान पर उपयोग के साथ शीर्ष मंजिल की छत केवल टीवी एंटीना और पानी, टॉप फ्लोर की छत पर टैंक आदि की स्थापना के अधिकार और रखरखाव के लिए, आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकार भूमि, ग्राम चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, बाघिसिली हरदेव मिसर जी.टी. रोड, शाहदरा मोती राम रोड, राम नगर, जी.टी. के पास। रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 की आबादी में स्थित	29.08.2023 19.08.2023 को रु. 1,01,09,547/- (रुपए एक करोड़ एक लाख नौ हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र)	24.04.2024 (भौतिक कब्जा)

ह./-
स्थान : आगरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश — अधिकृत प्राधिकारी, एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
तिथि : 25.04.2024 — (पूर्व की फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड)

'खच्चरों की वहन क्षमता तय की जाए'

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (ब्यूरो)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को उत्तरखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह महीने भर के अंदर तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले खच्चरों की अस्थायी वहन क्षमता तय करे। ये खच्चर केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गोमुख तीर्थयात्रा मार्ग पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं।

एनजीटी संबंधित अधिकारियों से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले खच्चरों की वहन क्षमता तय करने के लिए एक साल में अध्ययन पूरा करने के लिए कहा है। एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें चार तीर्थ मार्गों पर पर्यावरण मानदंडों के बड़े पैमाने पर अनियमित उल्लंघन का दावा किया गया है जिसमें मार्ग पर अनियंत्रित खच्चरों के गोबर, अपशिष्ट या शवों का पाया जाना शामिल है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि आपने रिपोर्ट दाखिल नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पत्नी के स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पति का अपनी पत्नी के 'स्त्रीधन' पर कोई नियंत्रण नहीं होता और भले ही वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे अपनी पत्नी को लौटाए। न्यायालय ने महिला को उसका 25 लाख रुपए मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश भी उसके पति को दिया।

इस मामले में महिला ने दावा किया था कि उसकी शादी के समय उसके परिवार ने 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को दो लाख रुपये का चैक भी दिया था। महिला के मुताबिक शादी की पहली रात पति ने उसके सारे आभूषण ले लिए और सुरक्षित रखने के बहाने से अपनी मां को दे दिए। महिला ने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपने कर्ज को चुकाने में उसके सारे जेवर का दुरुपयोग किया। कुटुंब अदालत ने 2011 में कहा था कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता महिला के सोने के आभूषण का दुरुपयोग किया और इसलिए वह इस नुकसान की भरपाई की हकदार है।

केरल उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब अदालत द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित नहीं कर पाई। तब महिला ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ह्यस्त्रीधनह्ण पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं होती है, और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।

'दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे कई चीते'

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (ब्यूरो)।

मध्य प्रदेश के गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में एक बाड़ वाले क्षेत्र में पांच से आठ चीतों को संभवतः साल के आखिर में छोड़ा जाएगा ताकि उन्हें प्रजनन के लिए वातावरण और अनुकूल मौसम मिले। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दक्षिण अफ्रीका का एक प्रतिनिधिमंडल चीतों को लाने के लिए गांधीसागर में तैयारियों और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को भारत पहुंचा था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने 'एक्स' पर लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया और उन्हें महत्त्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत चीतों को लाने की तैयारियों से अवगत कराया गया। पशु चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेते समय बहुमूल्य जानकारी साझा की गई।

राकांपा (शरद) का घोषणापत्र जारी

पुणे, 25 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने गुरुवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जाति जनगणना के लिए समर्थन जताते हुए किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग के गठन, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का वादा किया गया। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह जम्मू एवं कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन करती है और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार को खारिज करती है। 'शपथनामा' शीर्षक वाले घोषणापत्र के अनुसार राकांपा (शप) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), (यूएपीए) और अन्य ऐसे कानूनों की समीक्षा करेगी।

इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, अधिकारों के वितरण की समीक्षा करने और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की वकालत करती है।

राकांपा (शप) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम आरक्षण पर 50 फीसद की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करेंगे। हम सरकारी क्षेत्रों में अनुबंध श्रम पर प्रतिबंध लगाएंगे और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के हितों की कानूनी रूप से रक्षा करेंगे।'

निर्वाचन आयोग के रुख में बदलाव नेता को नहीं, पार्टी को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर यह पहली बार हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने किसी उम्मीदवार या नेता को नहीं, राजनीतिक दल को नोटिस जारी किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भाजपा के दिलीप घोष, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, आप की आतिशी और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस जारी किए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनके दलों को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजे।

अतीत में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को परामर्श जारी किए हैं, लेकिन जब भी आचार संहिता उल्लंघन के मामले हुए, संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया। यह पहली बार है कि नोटिस में यह रेखांकित किया गया है कि व्यक्तिगत तौर पर चुनाव प्रचार करने वाले नेता जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके मामले में राजनीतिक दल भी जवाबदेह हैं।

इस बारे में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, हम राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराने की कवायद शुरू कर रहे हैं। यह नया कदम है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निजी तौर नेता को बख्श रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी और राहुल से निजी तौर पर जवाब तलब किया जाएगा? इस सवाल पर अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों का जवाब मिलने पर आयोग आगे तय करेगा। इस मुद्दे पर एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा, 'आयोग के इस कदम का कोई मतलब नहीं।

मण्डल सस्त्र केन्द्र, मण्डल कार्यालय इटावा, ई-मेल cs8223@pnb.co.in — pnb — **CIRCLE SASTRA CENTRE, CIRCLE OFFICE ETAWAH EMAIL- cs8223@pnb.co.in**

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002(सरफेसी एक्ट 2002) धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस

आप सभी निम्नलिखित पार्टियों को एतदद्वारा अधोहस्ताक्षरी सूचित करता है कि आप सभी के खिलाफ बैंक ने वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत कारवाई प्रारम्भ करते हुए एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आप सभी को अलग-अलग रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नीचे वर्णित तिथियों को नोटिस भेजी गई थी जोकि बगैर तामील हुए वापस आ गई है। इसलिए आप सभी को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर आप संयुक्त/पृथक रूप से बकाया राशि अदा कर दें अन्यथा बैंक इस एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति बकाया राशि मय ब्याज व एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित लागत की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। यह कहना आवश्यक नहीं है कि बैंक के पास और कोई उपाय न होने के कारण यह सूचना बगैर किसी पूर्वाग्रह के जारी की जा रही है। ऋणियों, गारन्टर्स, बन्धककर्ताओं तथा जनसाधारण को आगाह किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कोई संव्यवहार न करें और इन सम्पत्तियों के प्रति किये गये संव्यवहार पर यदि कोई कार्य होता है, तो ब्याज सहित बैंक की बकाया राशि हेतु पहला अधिकार पंजाब नैशनल बैंक का होगा।

खाता/उधारकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस की रकम(रू.)
उधारकर्ता-मैसर्स भगवती राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, सिरसागंज रोड, मैनपुरी उ.प्र. 205001, निदेशकगण-1. श्री मोहन लाल गोयल पुत्र जय नारायण गोयल, सिरसागंज रोड, मैनपुरी उ.प्र. 205001, 2. श्री धर्मेंद्र सिंह, सिरसागंज रोड, मंडी मोतीगंज,मैनपुरी उ.प्र. 205001, श्रीमती कांता देवी गोयल पत्नी जय नारायण गोयल (जमानतकर्ता), सिरसागंज रोड, मैनपुरी उ.प्र. 205001, मैसर्स जय अम्बे राइस मिल्स लिमिटेड (बंधककर्ता/जमानतकर्ता) मंडी मोतीगंज मैनपुरी उ.प्र. 205001, देनदार- (1) मैसर्स श्री राम ट्रेडर्स, एस-21/डी-253, इंदिरा कल्याण विहार, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-1, नई दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110020, (2) मैसर्स जय हनुमान ट्रेडर्स, मकान नंबर 11-ए, प्रथम तल, मुख्य शांति कुंज रोड, वसंत कुंज, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110070 शाखा - कलब घर, मैनपुरी (डी नं. 034800)	दृष्टिबंधक-स्टॉक एवं ऋण बुक	23.01.2024	रु. [illegible] दि 01.06.2023 तक+ ब्याज एवं अन्य खर्चे दि 01.06.2023 से प्रभावी

आप को सलाह दी जाती है। कि - (1) मूल नोटिस/लिफाफा जो आपको सम्बोधित है तथा डाक अधिकारियों द्वारा वापस की गई है, को शाखा से प्राप्त कर लें एवं (2) सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने के लिए नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया धनराशि ब्याज एवं अन्य खर्च सहित का भुगतान कर दें।

दिनांक 26.04.2024 स्थानः इटावा — प्राधिकृत अधिकारी

RACL Geartech — **RAUNAQ GEARS**

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 (इंडिया)
दूरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513
ईमेल: investor@raclgeartech.com | वेबसाइट: www.raclgeartech.con
CIN : L34300DL1983PLC016136

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सूचना

कंपनी ने निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्रों को खोए/गुम हो जाने की सूचना दी गई है और उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के धारकों ने कंपनी से डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी, जब तक कि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी को कोई वैध आपत्ति प्राप्त न हो जाए। डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कंपनी द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या से	विशिष्ट संख्या तक	शेयरों की संख्या
0019800	इंदु मिमानी	00005883	003187308	003187407	100
		00011161	003715108	003715207	100
		00014635	004062508	004062607	100
		00016876	004286608	004286707	100
		00019475	004546508	004546607	100

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उक्त प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा है, उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा दर्ज कराना चाहिए। यदि इस नोटिस के प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी ऊपर सूचीबद्ध व्यक्ति को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी और किसी अन्य व्यक्ति से आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कृते आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थान: नोएडा — गुरशरण सिंह
दिनांक: 25 अप्रैल 2024 — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उंगली की स्याही दिखाकर नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में कर सकेंगे सफर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनसीआरटीसी ने पहल की है। इसके लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत मतदान करने वाले अपनी उंगली की स्याही दिखाकर यात्री, स्टैंडर्ड टिकट पर भी नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में सफर कर सकेंगे। अभियान के तहत मतदान करने वाले गाजियाबाद क्षेत्र के यात्रियों को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा। यह नागरिकों को चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए संलग्न करने और सशक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की विभिन्न पहलों के अनुरूप है।

इस पहल का फायदा उठाने के लिए प्रीमियम लाउंज के एएफसी गेट पर मौजूद स्टाफ को अपनी मतदान स्याही (इंक) लगी हुई अंगुली दिखाने पर यात्रियों को सीधे नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में सफर का मौका मिलेगा।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को 'आरआरटीएस कनेक्ट एप' से स्टैंडर्ड कोच के लिए टिकट खरीदने के बाद मतदान का साक्ष्य के तौर पर उंगली की स्याही दिखाकर प्रीमियम कोच में सफर कर सकेंगे। नमो भारत ट्रेन में छह में से एक कोच प्रीमियम जबकि पांच स्टैंडर्ड कोच हैं।

निर्वाचन आयोग के 'चुनाव का पर्व, देश का गर्व' अभियान के तहत एनसीआरटीसी यात्रियों को नमो भारत ट्रेन में प्रीमियम कोच में आराम और सुविधा का आनंद लेने का मौका दे रहा है। आरआरटीएस कनेक्ट एप को गूगल प्ले और एपल स्टोर से डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

वर्तमान में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर पर साहिबाबाद और मोदी नगर (उत्तर) के बीच 34 किमी के दायरे में नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है।

इसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुराद नगर, मोदी नगर (दक्षिण) और मोदी नगर (उत्तर) स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर की लंबाई 82 किमी है। गलियारे के शेष हिस्सों पर भी निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जून 2025 तक दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का एनसीआरटीसी का लक्ष्य है।

केवल गाजियाबाद क्षेत्र के यात्रियों को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा। वे मतदान के बाद स्टैंडर्ड टिकट पर भी प्रीमियम कोच का सफर कर सकेंगे। आयोग के 'चुनाव का पर्व, देश का गर्व' अभियान के तहत ऐसा हो रहा है।

www.readwhere.com